न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 21/2018

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र लादूराम
2. छोटूराम पुत्र लादूराम

समस्त जाति माली निवासीगण बालाजी नगर जाटावाला तन मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि धारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जरिये - अधिशाषी अधिकारी नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 रा० भू० रा० अधिनियम

x — x

उपस्थित :- श्री गिरधारीलाल बागडी एड० - प्रार्थीगण
श्री लोकेन्द्र कुमार गुप्ता एड० - अप्रार्थी न० 2

निर्णय — दिनांक 1-5-2018

संक्षेप में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख० न० पुराना 95/1 रकबा 1.38 हे० तन ग्राम जाटावाला परवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। तथा उक्त भूमि मे से 0.5002 हे० भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। उक्त ख० न० 95/1, नये ख० न० 118 रकबा 0.01 गै० मु० चाह ख० न० 119 रकबा 0.81 ख० न० 124/1 रकबा 0.0598 हे० कुल किता 3 कुल रकबा 0.8798 हे० की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम तथा भूमि ख० न० 124/2 व 125/2 कुल रकबा 0.5002 हे० है। (रेलवे द्वारा अधिग्रहित) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण कर उक्त ख० न० मे से सडक निकाल दी गई। सडक निकालते समय नक्शा ट्रेस मे मूल ख० न० 95 दर्ज रहा जो वर्तमान में अंकित है। नये ख० न० अंकित किये जाते समय नक्शा ट्रेस मे नये ख० न० अंकित कर दिये गये। भूमि ख० न० 95 राजस्व अभिलेख मे सडक निकलने के बाद 95/1 दर्ज कर दिया गया। ---- 2 ----

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

सड़क निर्माण के पश्चात प्रार्थीगण कि दक्षिणी ओर शेष बची भूमि का ख०न० राजस्व अभिलेख में ख०न० 951 अंकित कर दिया गया। लेकिन नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीगण कि शेष बची हुई भूमि की तरमीम नही की गई। प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि उक्त सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दक्षिणी ओर शेष बची हुई भूमि का राजस्व नक्शे मे अंकन नही किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व मे नही थी। जबकि उस स्थान पर सड़क दर्शा दी गई जिसके दक्षिण में प्रार्थीगण की भूमि शेष बची हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख०न० पुराना 951, रकबा 1.38 है० जिसके नये ख०न० 118, 119, 1241, कुल किता 3 कुल रकबा 0.8798 है० ग्राम जायदाजा पटवार हल्का मावण्डा कलां ~~[illegible]~~ शेष भूमि भूमि ख०न० 124/2 व 125/2 कुल रकबा 0.5002 है० जो रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है जिसका अंकन राजस्व नक्शा ट्रेस में कर दिया गया। प्रार्थीगण की सड़क के दक्षिणी ओर शेष बची हुई भूमि का अंकन नही किया गया है। जिसका अंकन किया जाना आवश्यक एवं विधिसंगत है। मौका स्थिति पर भूमि का रकबा प्रार्थीगण का कम है। जो सड़क के दक्षिणी ओर की भूमि को मिलाने से पूरा होता है। जो लगभग 0.16 है० भूमि है। सड़क में जो मोड नक्शा ट्रेस मे अंकित है वह मोड वर्तमान सड़क में मौका स्थिति के अनुसार नही है। जिसको नक्शा ट्रेस मे वर्तमान स्थिति के अनुसार दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं विधिसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित मद संख्या 6 के अनुसार राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती फरमाई जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं प्रार्थना पत्र के सम्बध में तहसीलदार नीमकाथाना से रिर्पोट ली गई।

अप्रार्थी सं 2 कि ओर से जरिये वकील जवाब पेश हुआ। जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि भूमि ख०न० 1291, रकबा 1.4671 है० ग्राम जायदाजा की खातेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है। जिसमें गैर मुमकिन सड़क निकाली हुई है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिर्पोट का अवलोकन किया गया।

---- 3 ------

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

प्रस्तुत जमाबन्दी सं 2056 से 2059 तक ग्राम जाटहाला के अवलोकन से पाया गया कि पुराने ख०न० 95/1 की खातेदारी जरिये नामा० 223 दिनांक 22-6-2009 के द्वारा लादू पि०मेदा के बजाय भगवान सहाय धोदूराम पि० लादूराम के नाम दर्ज हुई है। जिसके पश्चात भूमि ख०न० 95/1 के नये ख०न० कायम किये गये। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया कि सडक निर्माण के समय पुराना ख०न० 95 के बट्टा नम्बर डालते समय सडक का ख०न० 95/2 रकबा 0.04 व 95/1 रकबा 1.38 डाला गया जबकि सडक के दक्षिण दिशा में शेष रही भूमि का कोई ख०न० अंकित नही किया गया। यही तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किये है। एवं अंकित किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में नया ख०न० 118 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, ख०न० 119 रकबा 0.81 ख०न० 124/1, रकबा 0.0598 वर्तमान मे खाता सं 74 सं 2073-76 में दर्ज रिकार्ड है। ख०न० 119 के दक्षिण दिशा में सडक P.W.D ख०न० 129/1, रकबा 1.4671 गै.मु. सडक का अंकन वर्तमान नक्शा ट्रेस मे मौके अनुसार नही है। प्रार्थीगण की ख०न० 119 की भूमि रकबा 0.04 सडक के दक्षिण दिशा में स्थित है जिसका कोई ख०न० नही डाला गया। दक्षिण दिशा में सडक सीमा छोडकर प्रार्थी के मकान व कब्जा बताया गया है। मौके अनुसार ख०न० 119 रकबा 0.81 मे से 119/1, रकबा 0.73 खातेदारी में ख०न० 119/2 रकबा 0.04 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम किया जाना उचित बताया है। ख०न० 129/1, रकबा 1.4671 को ख०न० 129/1, रकबा 1.4271 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम व ख०न० 129/1, मे से 0.04 है भूमि का ख०न० 119/3 रकबा 0.04 किया जाना मौके पर भौतिक कब्जा अनुसार किया जाना उचित बताया है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना में अंकित तथ्यो से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होता है एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को बल मिलता है। प्रार्थीगण की भूमि जो दक्षिण दिशा मे बताई गई उसपर ख०न० नही डाले गये जो तथ्य रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती की जावें।

निर्णय आज दिनांक 1-5-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना